

|                                                                                                   |                                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                            | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                               | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | कार्तिक 07, बुधवार, शाके 1947- अक्टूबर 29, 2025<br>Kartika 07, Wednesday, Saka 1947- October 29, 2025 |                                                  |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा  
अधिसूचनाएं।

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2025

**एस.ओ.43 :-**राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार,-

- समस्त उपखंड अधिकारियों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 2025 के नियम 3, 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए परमिट और विशेष परमिट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए; और
- राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं. 14) के अधीन राज्य पशु मेला के संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त प्रभारी अधिकारी को, पशु मेला कालावधि के दौरान, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 2025 के नियम 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए विशेष परमिट जारी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए,

इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं. एफ.वी.24(1)सीसी मिशन/2025-]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ समित शर्मा,  
शासन सचिव।

**ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT****NOTIFICATION****Jaipur, October 17, 2025**

**S.O.43** .-In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016), the State Government hereby authorises,-

- (i) all the Sub Divisional Officers to exercise the powers and perform the functions of the Competent Authority to issue permit and special permit for the purposes of rule 3, 4 and 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Rules, 2025 in their respective jurisdiction; and
- (ii) the Officer-in-charge appointed as such by the State Government in respect of the state cattle fair under the Rajasthan State Cattle Fairs Act, 1963 (Act No. 14 of 1963) to exercise the powers and perform the functions of the Competent Authority to issue special permit for the purposes of rule 4 and 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Rules, 2025 during Cattle fair period.

**[No.F.V.24(1)CC Mission/2025]****By order of the Governor,**

Dr. Samit Sharma,  
**Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**